

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०— २०२१/१६-१२

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि

आदेश फलक

अभ्युक्ति

09/11/22

Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें।

अभिलेख दिनांक 08/12/22 को उपस्थापित करें।


09/11/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

08/12/22

अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक रा०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं० - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:

मौजा गौसाझीह थाना नं० ४३ खाता सं० ५३ प्लॉट सं० —

एकड़ ५.०० एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म —

जमाबंद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी नं० के जिल्द सं० १ के पृष्ठ सं० ७६ पर जमाबंदी रयत खीरा मझी

फिर सिखारी मझी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।
अभिलेख दिनांक 24/12/22 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24/12/22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में मात्र लजान रसीद की अपत्राप्ति श्री-

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।
अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

07/01/23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोखोडी मौजा नं० 183 खाता सं० 43 प्लॉट सं० — रकबा 5.08 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 1980-81 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 76/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पंजाब अंचल हरियाणा

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
श्रीम मल्हो पिता मिलारी मल्हो	जी. (हार्डी)	183	43	-	5.00	जी. (जलमालिक)	-

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- भूमि का वर्तमान (वर्तमान परीक्षा)

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में जमाबंदी संधारण वर्ष का कोई आधार दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

जमाबंदी रजि. करने वाले पट्टा का नाम दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिर्बंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अधेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

पंजी-II में जमाबंदी कायम किये जाने का आधार रजि. नहीं है

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जामाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंशक रूपी अपर

उपलब्ध पंजी-11
से

10. (क) अवैध जामाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- *नहीं*

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- *नहीं*

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जामाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- *नहीं*

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन अति ठीक ठीक जोसर्वोपरि (पृष्ठ 43, पंजी 11 में) अंकित नहीं किया गया 5.00 रु. का गंगा सीमा क्षेत्रों के पिछा-मिलाली क्षेत्रों के नाम से पृष्ठ 46/1 पर दर्ज है। गंगा क्षेत्र होने का आधार पंजी 11 में दर्ज नहीं है। अति (पृष्ठ 43) अति उत्तम अधिक (गंगा) की है (कोई दर्ज नहीं होने के कारण) कि वह का पता नहीं है। या हाँ है। अंचल कार्यालय से गंगाधारी/देवरा के जोरित का रखवला हुआ। अति उत्तम (गंगा) की अति गंगाधारी को भेजे जाएँ हुआ कलसे संस्थान में गंगाधारी के डाटा के साक्ष्य उत्तम की किया गया। एसी स्थिति में यह गंगा अवैध उत्तिर होता है। अतः प्रतिवेदन अति उत्तम कावाई हेतु अति उत्तम।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

अवैध उप-निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच, प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जामाबंदी को खट्ट करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीम गुरुदेव कौर हंमिया मित्तरी गहलो
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं: 76 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>जोसाई</u>	<u>183</u>	<u>43</u>	<u>—</u>	<u>5.00 रुक</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- जमाबंदी कायम की गई थी और आखिर वर्ष की गयी है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जोसाई (जमाबंदी)
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- की गयी है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में जमाबंदी कायम की गयी है और आखिर की गयी है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- अंशक रूप से जमाबंदी कायम की गयी है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	715713	4/03/1973	1972-73
02	515730	19/03/1974	1973-74
03	007123	07/01/1975	1974-75
04	169737	31/03/1981	1980-81

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

याद अभिलेख सं० 1922 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम स्वीता महतो कौश

पिता - भिरबारी महतो

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा गैरगढ़ थाना नं० 183 खाता सं० 43 खेसरा नं० — रकबा 500 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 7 के पंजी-11 भाग 1 के पृष्ठ 76 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

अर्चना राय

8235536504

इसे सख्त ताकिद जानें।



अ. राय

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।